राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1569/2013

सत्य नारायण शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. उप निदेशक (माध्यमिक) जपयुर संभाग, जयपुर।
2. श्री श्याम सुन्दर मित्तल, प्रध्यानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, परसाकावास, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.09.2013
आदेश की दिनांक : 02.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी और निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 की नियुक्ति एक ही आदेश दिनांक 30.06.1983 द्वारा हुई है और दोनों की शैक्षणिक योग्यता भी एम.कॉम, एम.एड है, जिसके संबंध में दोनों की सेवाभिलेख की प्रति अनुलग्नक–1 एवं 2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी और निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 को प्रथम चयनित वेतनमान जुलाई, 1992 में और द्वितीय चयनित वेतनमान जुलाई, 2001 में स्वीकृत किया गया। दोनों की सीधी भर्ती से वरिष्ठ अध्यापक (वाणिज्य) के पद पर नियुक्ति हुई है और प्रतिवर्ष जुलाई में वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होती है। अपीलार्थी ने एम.एड की परीक्षा दिनांक 16.10.1991 को उत्तीर्ण की। जिस पर दिनांक 16.10.1991 से एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 ने एम.एड की परीक्षा दिनांक 23.09.1992 को उत्तीर्ण की थी। इस प्रकार दिनांक 23.09.1992 से एक वेतन वृद्वि स्वीकृत की जाकर उसका वेतन 2060/– रुपये प्रतिमाह नियत किया गया, जबकि अपीलार्थी दिनांक 23.09.1992 से वेतन 2000/– रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 अपीलार्थी से ज्यादा वेतन आहरित कर रहा है। जबकि अपीलार्थी ने एम.एड की परीक्षा निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 से एक वर्ष पहले उत्तीर्ण की। इस प्रकार अपीलार्थी अपने कनिष्ठ के बराबर दिनांक 23.09.1992 को वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है और आगे के वेतन नियतन और एरियर का 9 प्रतिशत सहित ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। दोनों के तुलनात्मक वेतन नियतन विवरण अनुलग्नक–3 पर प्रस्तुत किए गए है। अपीलार्थी ने विस्तृत अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या–1 के समक्ष प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक–4)। परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः यह

अपील विभाग द्वारा भेदभाव पूर्ण तरीके से कार्यवाही नहीं करने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को दिनांक 23.09.1992 से वेतन उससे कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 के बराबर वेतन स्वीकृत किया जावे एवं आगे के वेतन नियतन किए जाकर बकाया वेतन भत्ते मय 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम –32 के अनुसार वेतन उन्नयन नवीन वेतनमान में वेतन निर्धरण पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के प्रकरणों में ही वेतन उन्नयन स्वीकृत करने का प्रावधान है। एम.एड. योग्यता पर अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण विसंगति होने पर वेतन उन्नयन नियम–32 के तहत देय नहीं बनता तथा नियम की प्रतिलिपि जवाब अपील के साथ संलग्न प्रदर्श आर–01 है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय यूनियन आफ इंडिया बनाम के० परिशिया एस.एल.आर0 1997!7! पेज न.–293 में यह सिंद्वान्त पारित किया है कि इसतरह की वेतन विसंगति को दूर नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का विवाद 1992 और 2001 में उत्पन्न हो गया था जब श्याम सुन्दर मित्तल को प्रथम एंव द्वितीय चयनित वेतनमान दिया गया था लेकिन अपीलार्थी के द्वारा समय रहते विभाग के समक्ष निवेदन नहीं किया और न ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश नहीं तथा 2013 में उसे वेतन उन्नयन का ध्यान आया और अपील पेश कर दी। इसप्रकार भारतीय मर्यादा अधिनियम की धारा–05 एवं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 के प्रावधानों की धारा–09 के अनुसार इतने लम्बे समय के बाद माननीय अधिकरण के समक्ष विलम्ब के आधार पर इस प्रकार का प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हैं। अजय सिंह बनाम सरकार (डब्ल्यू.एल.सी 2003) पेज–559 में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विलम्ब के अभाव में अपील खारिज कर देनी चाहिए। जो कि माननीय उच्च न्यायालय नें धमेंद्र बनाम राज्य सरकार में 2012 के निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। इसीप्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजस्थान सरकार बनाम चन्दशेखर व अन्य ! एमपीडब्लू! के मामले में विलम्ब के आधार पर राज्य सरकार की अपील हाल ही में खारिज की थी । अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा उससे कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 को दिनांक 23.09.1992 से स्वीकृत किए गए वेतन के अनुरूप समान वेतन दिए जाने और इसके फलस्वरूप आगे के वेतन नियतन करने और उस पर देय बकाया वेतन

भत्तों को 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि तत्समय विभागीय नियमों में एम.एड की परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने पर एक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान था। अपीलार्थी द्वारा एम. एड की डिग्री लिए जाने पर उसे दिनांक 16.10.1991 को अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई परन्तु जुलाई, 1992 में प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत करने पर यह मूल वेतन के साथ शुमार हो गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 ने प्रथम चयनित वेतनमान के बाद एम.एड की डिग्री प्राप्त की। इसके फलस्परूप उसे एक वेतन वृद्वि दिनांक 23.09.1992 को मंजूर होने से उसका वेतन अपीलार्थी से ज्यादा हो गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा एम.एड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृति से उसका वेतन अपीलार्थी से ज्यादा हो गया है, जो नियमानुसार है। अपीलार्थी को एम.एड की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई थी। अपीलार्थी को एक वर्ष की अवधि में दो वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। साथ ही यह वेतन उन्नयन का प्रकरण नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य